मानननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूल/कॉलेज बसों की सुरक्षा में दिये गये दिशा निर्देश

1. स्कूल/कॉलेज बसों को पीले रंग से पेंट किया जाना चाहिए।
2. बसों के आगे और पीछे बड़े एवं सुवाच्य अक्षरों में **"स्कूल बस"** लिखा जायें। यदि बस किराये की है तो उस पर आगे एवं पीछे विद्यालयीन सेवा **(ON SCHOOL DUTY)** लिखा जायें।
3. विद्यालय/कॉलेज के लिये उपयोग में लायी जाने वाली किसी भी बस में निर्धारित सीटों से **"अधिक संख्या में बच्चे नही बिठाये"** जायें।
4. प्रत्येक बस में अनिवार्य रूप से **"फर्स्ट एड बाक्स"** की व्यवस्था हों।
5. बस की खिड़कियों में **"आड़ी पटिटयॉ (HORIZONTAL GRILLS)"** अनिवार्य रूप से फिट करवाई जायें।
6. प्रत्येक बस में **"अग्नि शमन यंत्र"** की व्यवस्था हों।
7. बस पर **"स्कूल का नाम और टेलीफोन नम्बर"** अवश्य लिखा हुआ हों।
8. बस के **"दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी"** लगी हों।
9. बच्चों के बस्ते रखने के लिये सीटो के नीचें जगह की व्यवस्था की जानी चाहिए।
10. सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों को लाने–ले जाते समय'' बस में एक व्यक्ति (Escort) यथासंभव स्कूल के एक शिक्षक की व्यवस्था'' की जाये
11. सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के माता–पिता या स्कूल के शिक्षक को भी बस में यात्रा कर सुरक्षा मापदंडो को जांचना चाहिए।
12. वाहन चालक को भारी वाहन चलाने का न्यूनतम ''पांच वर्ष का अनुभव'' होना चाहिए।
13. यदि कोई ड्रायवर वर्ष में दो बार से अधिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन जैसे लाल सिग्नल को जम्प करना लेन नियम का पालन नही करना एवं अनाधिकृत व्यक्ति से वाहन चलवाने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ड्रायवर नही रखना चाहिए।
14. यदि कोई ड्रायवर वर्ष में एक बार भी ट्रैफिक नियमो के उल्लंघन जैसे ओवर स्पीड, नशे में वाहन चलाना या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ड्रायवर नही रखना चाहिए।
15. स्कूल बस/लोकपरिवहन यान में स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता।

<u>शपथ –पत्र</u>

मैं ....पद ....

स्कूल/कॉलेज/संस्था ....

यह शपथपूर्वक कथन करता हूं कि संस्था के छात्र/छात्राओं के आवागमन के लिये संचालित होने वाले समस्त वाहनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

संस्था में संचालित वाहनों के चालक – परिचालकों के चरित्र का सत्यापन कराया गया है।

शपथग्राही

महत्वपूर्ण नम्बर

स्कूल हेल्पलाईन न0 – 07587602055

(व्हाट्सएप्प सुविधा उपलब्ध)

नोट–इस हेल्प लाईन नम्बर को सभी स्कूल वाहन के पीछे लिखवायें।

ट्रेफिक लेडलाईन नम्बर – 0755– 2443850

सिटी पुलिस कंट्रोल रूम – 0755– 2555922

डॉयल – 100